

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9/उपांकीट०अनु०—5/2015—  
प्रेषक,

/कृ०, पटना, दिनांक

मई, 2015.

धर्मेन्द्र सिंह, भांपूसे०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स जे० यू० पेस्टीसाईड्स एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०,  
H/O श्री अंजनी बंका, द्वितीय तल,  
भवनानी कामर्शियल कम्पलेक्स,  
(रिलाय हॉस्पीटल) के सामने राजेन्द्र पथ, पटना—1

विषय :— कीटनाशी बिक्री/भंडारण हेतु नया अनुज्ञाप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक (पौ० सं०), सर्वेलेन्स, मुख्यालय पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम\_1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित 113 कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञाप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि 31.12.2016 तक के लिए कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति प्रदान किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Acephate 75% SP	37	Dicofol 18.5% EC
2	Acephate 25% +Fenvalerate 3% EC	38	Deltamethrin 11% w/w EC
3	Acetamiprid 20% SP	39	Deltamethrin 1.25% ULV
4	Alphamethrin 10% EC	40	Deltamethrin 2.5% WP
5	Anilofos 30% EC	41	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC
6	Azadiractin 0.03% (300 PPM)	42	2-4-D, Ethyl Ester 20% W.P (Containing 2-4-D Acid 18% w/w)
7	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG	43	2-4-D, Amine Salt 58% SL
8	Atrazin 50% WP	44	Ethepron 39% SL
9	Butachlor 50% EC	45	Ethion 50% EC
10	Butachlor 50% EW	46	Emamctin Benzoate 5% SG
11	Butachlor 5% GR	47	Ethion 40%+Cypermethrin 5% EC
12	Bifenthrin 10% EC w/w	48	Fenpropathrin 10% EC
13	Benfuracarb 3% GR	49	Fenitrothion 50% EC
14	Buprofezin 25% SC	50	Fenvalerate 20%EC
15	Carbaryl 50% WP	51	Fenvalerate 0.4% DP
16	Carbaryl 10% DP	52	Fenobucarb 50% EC (B.P.M.C 50% EC)
17	Carbendazim 50% WP	53	Fenoxyprop-p-ethyl 10% EC
18	Carbendazim 12% +Mancozeb 63% WP	54	Fipronil 0.3% GR
19	Cartap Hydrochloride 50% SP	55	Fipronil 5% SC
20	Cartap Hydrochloride 4% GR	56	Gibberallic Acid Tech.
21	Chlorpyriphos 20% EC	57	Gibberallic Acid 0.001% L
22	Copper Oxy Chloride 56% OP	58	Glyphosate 41% SL
23	Copper Oxy Chloride 50% WDG	59	Hexaconazole 5% EC
24	Copper Oxy Chloride 50% WP	60	Hexaconazole 5% SC
25	Cypermethrin 25% EC	61	Imidacloprid 70% WS
26	Cypermethrin 10% EC	62	Imidacloprid 70% WG
27	Cypermethrin 3%+Quinalphos 20% EC	63	Imidacloprid 17.8 % SL
28	Cypermethrin 0. 25% DP	64	Imidacloprid 48 % FS
29	Captan 50% WP	65	Imidacloprid 30.5 %SC
30	Chlorothalonil 75% WP	66	Imidacloprid 2.15 % Gel
31	Captan 70%+Hexaconazole 5% WP	67	Isoproturon 75% WP
32	Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC	68	Indoxacarb 14.5% SC
33	Chlorpyriphos 50%+Cypermethrin 5% EC	69	Isoproturon 50% WP
34	Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP	70	Iprodine 25%+Carbendazim 25%WP
35	Difenoconazole 25% EC	71	Imazethapyr 10% SL
36.	Decamethrin 2.8% EC	72	Lambda Cyhalothrin 5% EC

73	Lambda Cyhalothrin 2.5% EC	94	Profenophos 40%+Cypermethrin 4% EC
74	Lufenuron 5.4 % EC	95	Propiconazole 25% E.C
75	Mancozeb 75% WP	96	Piroxofop-Propanyl (Clodinafop-Propargyl) 15% WP
76	Monocrotophos 36% SL	97	Pretilachlor 50% EC
77	Malathion 50% EC	98	Pretilachlor 30.7% EC
78	Malathion 25% WP	99	Profenophos 50% EC
79	Malathion 5% DP	100	Pendimethalin 30% EC
80	Matalaxyl 35% WS	101	Quinalphos 25% EC
81	Matalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP	102	Quinalphos 1.5% DP
82	Metribuzin 70% WP	103	Sulphur 80% WDG
83	Methyl Parathion 2% DP	104	Sulfosulfuron 75% WG
84	Methyl Parathion 50% EC	105	Spinosad 45% SC
85	Metsulfuron Methyl 20% WP	106	Triadimefon 25% WP
86	Methomyl 40% SP	107	Thiophanate Methyl 70% WP
87	Neem Seed Kernel Based EC Containing Azadirachtin 1% EC	108	Triazophos 40% EC
88	Oxy Demeton Methyl 25% EC	109	Thiamethoxam 25% WG
89	Oxyfluorfen 23.5% EC	110	Tricyclazole 75% WP
90	Oxadiargyl 6% EC	111	Tebuconazole 2% D.S
91	Paraquat Dichloride 24% SL	112	Triacontanol EW/ 0.1% MIN
92	Phenthroate 50% EC	113	Validamycin 3% L
93	Phenthroate 2% DP		

2—उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेरसर्स जे० य० पेर्सीसाईड्स एण्ड कोमिकल्स प्रा० लि०, H/O श्री सुनील कुमार सिंह, S/O स्व० रामबाबू सिंह, रानीपुर, पैजामा, एन०एच०-३० थाना—बाईपास, जिला—पटना—८

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्री प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9—कीटनाशी अनुज्ञाप्ति सं० १३७ दिनांक १६.०५.१५ मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

एक/१३८

विश्वासभाजन,

ह०/—

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२७०

/कृ०, पटना, दिनांक १६ मई, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।